



नामांक

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

Question Booklet No.

--

No. of Questions – 3

SS-34-DL-T.W. (Hindi)

No. of Printed Pages – 7

उच्च माध्यमिक पूरक परीक्षा, 2026
SENIOR SECONDARY SUPPLEMENTARY
EXAMINATION, 2026

हिन्दी टंकण लिपि
(TYPEWRITING HINDI)

समय : 1 घण्टा

पूर्णांक : 40

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :

- 1) परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न-पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें ।
- 2) प्रत्येक कागज के एक तरफ टंकण करें ।
- 3) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से आरम्भ करना है ।
- 4) प्रत्येक लाइन के बीच में द्विगुणित अवकाश (Double Spacing) देकर टंकण करना है ।
- 5) हर प्रश्न के लिए 20% अंक सजावट के निर्धारित है ।



1. निम्नलिखित अवतरण को टंकित कीजिए :

टंकित अंक : 16

सजावट : 04

कुल अंक : 20

प्रत्यक्ष करदाताओं के लिए योजनाएं

भारत एक विशाल देश है, देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, लेकिन विडंबना यह है कि इतनी बड़ी आबादी में मात्र 7.5 करोड़ लोग आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। इनमें से भी मात्र डेढ़ से 2 करोड़ लोग ही प्रत्यक्ष रूप से आयकर देते हैं। भारत सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि प्रत्यक्ष कर देने वाले लोगों की संख्या अधिक से अधिक बढ़े, लेकिन ऐसे करदाताओं को किसी प्रकार की कोई विशेष सुविधा भारत सरकार की तरफ से नहीं मिलती है। ऐसे में भारत में आयकरदाताओं की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। लोग कर देने की बजाय कर से बचने की ज्यादा कोशिश करते हैं।

भारत में कर को लेकर नियम और कानून बने हुए हैं। आयकर अधिनियम 1961 के तहत भारत सरकार कर की वसूली करती है। प्रत्यक्ष कर सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। यह मुख्य रूप से व्यक्ति, कंपनी और संस्थाओं की आय पर लगता है। जिसका निर्धारण आय के प्रकार और उसकी सीमा के अनुसार होता है। सरकार आयकर दरों में हर वित्तीय वर्ष में बदलाव भी करती है। आयकर की स्लैब्स के अलावा सरकार सुपर रिच सेस भी ले रही है। वित्तीय वर्ष



2024-25 की आयकर स्लैब को देखे तो 5 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर सरकार 30 प्रतिशत कर के अलावा 37 प्रतिशत अतिरिक्त सेस और 4 प्रतिशत का स्वास्थ्य व शिक्षा सेस लगाती है। यानी अधिक आय पर 'अधिक' टैक्स की वसूली सरकार की ओर से की जा रही है। विशेष रूप से सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स का प्रावधान किया है, जिससे कंपनियों के लिए कर की दरें अलग से निर्धारित है।

भारत सरकार का आयकर विभाग कंपनियों का ऑडिट करने को स्वतंत्र होता है और यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आयकर में कोई गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो आयकर विभाग जांच करता है तथा दोषी पाए जाने पर दंड और सजा का प्रावधान है। भारत सरकार की टैक्स से आमदनी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष अरबों रुपयों का राजस्व सरकार को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2024 – 25 में भारत सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से 40 लाख करोड़ रु. मिलने की उम्मीद है। इसमें प्रत्यक्ष करों में व्यक्तिगत आयकर और फर्मों से 14.5 लाख करोड़ रुपये, जबकि कॉर्पोरेट कर से 9 लाख करोड़ रुपये तक मिलने की उम्मीद है।

दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो ज्यादातर देशों में रिटायर लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं, जहाँ बहुत अच्छी रिटायरमेंट पेंशन प्रणाली उपलब्ध है। नार्वे की बात करें तो यहां सरकार यह सुनिश्चित करती है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिले। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य



देखभाल का ख्याल भी रखा जाता है । सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा आयकरदाता जो पिछले कई सालों से भारत सरकार को करों का भुगतान कर देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहा है । आयकरदाता के सुरक्षित भविष्य और वृद्धावस्था में आवश्यक मदद की योजनाओं पर काम करना होगा । भारत में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद पेंशन का प्रावधान है लेकिन देश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है । भारत सरकार बड़ी आबादी के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है । जिसमें वृद्धावस्था पेंशन जैसी कई योजनाएं शामिल है । लेकिन आज के दौर में इस योजना के तहत मिलनेवाला मासिक पैसा ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही है ।

निश्चित रूप से भारत सरकार का दायित्व है कि वह सभी लोगों का ख्याल रखें । उनके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करें । साथ ही देश की प्रगति और उन्नति में भागीदार बने रहे आयकर दाताओं के लिए सरकार की तरफ से कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए । जो व्यक्ति जीवन भर सरकार और देश को चलाने के लिए अपनी गाड़ी पूंजी से 25-30 प्रतिशत कर देता आ रहा है, उसका ख्याल सरकार नहीं रख रही है ।

प्रधानमंत्री वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं । विकसित देश तभी बनेगा, जब देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष कर देने के योग्य बनेगी ।



2. निम्नलिखित पत्र को यथोचित प्रारूप में टंकित कीजिए :

टंकित अंक : 08

सजावट : 02

कुल अंक : 10

गोगेश्वर एण्ड संस

पुस्तक विक्रेता

ई-मेल-गोगराज@जीमेल, कॉम

ज्ञान बाजार

मो.न.: 9643252010

विधा रोड़,

पत्रांक - 10/5/73

प्रेमनगर (म.प्र.)

दिनांक 10-12-2025

प्रिय महोदय,

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. कम किए जाने पर विभिन्न पुस्तकों के मूल्यों में आंशिक कमी की है जिसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं ।

विवरण निम्नानुसार है-

1. राजस्थान सामान्य ज्ञान	— 200 ₹ प्रति
2. सामान्य विज्ञान	— 120 ₹ प्रति
3. सामान्य हिन्दी	— 110 ₹ प्रति
4. सामान्य अंग्रेजी	— 80 ₹ प्रति
5. जिला ज्ञान माला	— 60 ₹ प्रति



6. डी.एल.एड. प्रतियोगिता पुस्तिका – 140 ₹ प्रति
7. बी.एड. प्रथम वर्ष गाइड – 180 ₹ प्रति

गोगेश्वर एण्ड संस

पुस्तकों के थोक विक्रेता

प्रेमनगर (म.प्र.)

कृपया आप से विनम्र निवेदन है कि उक्त पुस्तकों पर 10% अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है इससे लाभान्वित हों ।

आशा ही नहीं हमें पूर्ण विश्वास है, कि आप द्वारा पूर्व की भांति भविष्य में सहयोग मिलता रहेगा तथा गुणवत्ता के लिए मार्गदर्शन मिलता रहेगा । जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे ।

धन्यवाद ।

गोगेश्वर एण्ड संस के लिए

सही/-

(श्यामलाल साझेदार)

पुनश्च-नए पाठ्यक्रम के अनुसार नई शिक्षा नीति अनुसार समस्त कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध है । प्रतियोगिता परीक्षा के हल प्रश्न पत्रों की भी उपलब्धता ।



3. निम्नलिखित सारणी को यथोचित रूप में देकर टंकित कीजिए :

टंकित अंक : 08

सजावट : 02

कुल अंक : 10

विषयवार उत्तीर्ण विद्यार्थी

(संख्या में)

क्र.सं.	विषय	2022	2023	2024	2025
1	हिन्दी	20	23	17	21
2	पर्यावरण	22	21	23	19
3	सामाजिक	24	24	20	17
4	गणित	17	13	12	13
5	विज्ञान	19	17	16	19
6	संस्कृत	21	24	22	23
7	उर्दु	07	10	11	10
8	बहीखाता	19	17	20	21
9	भूगोल	10	11	12	15
10	कृषिविज्ञान	07	10	16	12



DO NOT WRITE ANYTHING HERE